न्यायालय :— मान. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2016 निगरानी

भगवान सिंह पुत्र ठाकुर लाल निवासी ग्राम जरिया तह. बदरवास जिला शिवपुरी म.प्र.

.......आवेदक

बनाम

1. म.प्र. शासन
2. शीला पुत्री मल्थू खटीक
3. शकुन्तला पुत्री मल्थू खटीक
4. राजकुमार खगार पुत्र रघुवीर खगार
5. भैयालाला पुत्र सुन्दर लाल खंगार
6. बुन्देल सिंह पुत्र सुन्दर लाल खंगार
7. संग्राम सिंह पुत्र बंशी
8. कल्याण पुत्र सरबरी मेंहतर

निवासीगण ग्राम जरिया तहसील बदरबास जिला शिवपुरी म0प्र0

.........अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला शिवपुरी के प्र.क. 55/13–14/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2015 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

निगरानी के तथ्य :—

1. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, विवादित भूमि ग्राम जरिया तह. बदरवास में स्थित भूमि सर्वे क. 162/2 रकवा 1.00 हें. अनावेदक क.–2 , भूमि सर्वे क.–162/1 रकवा 1.00 हे., अनावेदक क.–3 भूमि सर्वे क. 162/3 रकवा 0.50 हे., अना. क. 4, भूमि सर्वे क. 171 रकवा 0.57 है., 179 मिन रकवा 0.41 है. कुलकिता 2 कुल रकवा 0.98 है. के सम्बन्ध में अनावेदक क. 5 एवं सर्वे क. 179/1 रकवा 1.00 है. अनावेदक क. 6, भूमि सर्वे क. 181 मिन रकवा 0.89 हे., अनावेदक क. 7, भूमि सर्वे क. 183/4 रकवा 1.00 हे., अनावेदक क. 8, के पट्टे के सम्बन्ध में टप्पा रन्नौद तहसील बदरवास के समक्ष आवेदन पत्र एक लिस्ट जारी की जा कर 1 लगायत 23 पट्टाधारियों को प्र.क. 1/अ–19/02–03 पर दर्ज किया जा कर आदेश दिनांक 31.12.2002 से भूमि बंटन किया गया है भूमि बन्टन की कार्यवाही में प्राप्त आवेदन पत्रों में काटछांट की जा कर अन्य ग्राम के निवासियों को भूमि बन्टन की गई है। इसके अतिरिक्त अभिलेख में कूटरचना कर अभिलेख में हेरा–फेरी व गम्भीर

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./214/तीन/2016 जिला- शिवपुरी

भगवान सिंह विरूध म0प्र0 शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 55/2013-14/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 08/09/2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 18/7/19 को आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 28/5/19 सदस्य	